(23)
A

Office of the District Collector
Kangra at Dharmshala

No. 1610 /DRA Dated 29 Sep 15.

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Govt. of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes. It is certified that 00-01-00 hects of forest land proposed to be diverted in favour of I&PH Department for construction of **Water Tank** in Kangra Distt.falls within jurisdiction of Breh village in Dharmshala Tehsil.

it is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 00-01-00 hecters of forest land proposed for Diversion. Copy of record of all Consultations and meetings of the Forest Rights Committee, Gram Sabha Sub Divisional Level Committee and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to ---4---------.

(b) the proposal for such diversion (with full detail of the project and its implications in vernacular/local) have been placed before (each) concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under FRA.

(c) the **Kned** Gram Sabha has certified that all formalities / process under the FRA have been carried out, and that they have given their consent of the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha Kaned enclosed as annexure…1

(d) The discussion and decision on such proposal had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present,

(e) The diversion of forest land and for facilities managed by the Govt. as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has been given their consent to it.

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguard as per section 3(1) of the FRA.

(g)

Encl. As above.

Collector
Kangra District

(R... Chauhan,IAS
Distt. Collector
Kangra at Dharmshala

2011 23 B

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

दिनांक 27.8.2015 को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006 के अर्न्तगत प्राप्त मामलों में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवाही ।

जिला स्तरीय समिती (अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वन परम्परागत निवासी एक्ट 2006) की बैठक दिनांक 27.8.2015 को श्री रितेश चौहान, भा0प्र0से0 उपायुक्त कांगड़ा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । जिसमें सरकार द्वारा गठित समिति के सरकारी व गैर सरकारी सदस्यो ने भाग लिया । (सूचि सलंग्न) वैठक में निम्नलिखित कार्य हेतू विभिन्न विभागों से उक्त एकट के अर्न्तगत प्रमाण पत्र जारी किये जाने बारे आवेदन प्राप्त हुऐ ।

1 अधिशाषी अभियन्ता धर्मशाला ने महाल वगियाड़ा में वाटर टैंक के निर्माण हेतू उक्त प्रमाण पत्र जारी करने हेतू आवेदन किया है ।

2 सहायक अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0वि0 गगल ने लांझणी से नरघोटा सड़क के निर्माण हेतू आवेदन किया है ।

3 अधिशाषी अभियन्ता लो0नि0वि0 धर्मशाला ने लिंक रोड़ खिड़कू खडौता के निर्माण हेतू आवेदन किया है ।

4 अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई एवं जन स्वास्यय विभाग शाहपुर ने निरिक्षण हट के निर्माण हेतू आवेदन किया है

5 अधिशाषी अभियन्ता उपरोकत धर्मशाला डिविजन ने महाल ब्रैह में वाटर स्टोरेज टैंक के निर्माण हेतू आवेदन किया है ।

6 अधिशाषी अधिशाषी अभियन्ता धर्मशाला आई0 पी0 एच0 ने महाल रक्कड़ में वाटर टैंक के निर्माण हेतू आवेदन किया है ।

7 उक्त अधिकारी ने महाल नडडी में वाटर टैंक के निर्माण हेतू आवेदन किया है ।

22 अधिशाषी अभियन्ता देहरा ने वढल से धीमान वस्ती रोड़ के निर्माण हेतू आवेदन किया है ।

23 उक्त अधिकारी ने गुरालधार–नंगल वाया पटटी रोड़ के निर्माण हेतू आवेदन किया है ।

24 उपमण्डल अधिकारी (ना0) बैजनाथ द्वारा गावं मूलथान तथा बखलोग के अधिकारों को लेकर दावे इस कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, जिन पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई । उपस्थिकत सदस्यों ने बताया कि उनके कुछ अधिकार राजस्व रिकार्ड में तय नही किये गये हैं जिन्हे एक्ट के तहत तय किया जावे । वन मण्डल अधिकारी पालमपुर ने बताया कि वन भू–व्यवस्था के दौरान सारे अधिकार राजस्व रिकार्ड में तय कर दिये गये हैं । इसके अतिरिक्त जो एरिया वन्य प्राणी सैंन्चुरी से वन विभाग को मिला है उसको मिलाकर पांच रेंजिज पालमपुर मण्डल में हैं उनमें प्रति वर्ष एक रेंज खोली जाती है तथा सम्बन्धित लोगों को मांगे गये परमिट विभिन्न प्रकार के परमिट भी दिये जाते हैं । वन मण्डल अधिकारी वन्य प्राणी हमीरपुर ने बताया कि सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार सैन्चुरी एरिया का यदि कोई व्यक्ति या समुदाय किसी अधिकार के बारे में आवेदन देता है तो उसे मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी को स्वीकृति हेतू भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी ने समिति को अवगत करवाया कि राजस्व रिकार्ड में अधिकतर अधिकारों को तय कर दिया गया है तथा शेष पर शीघ्र कार्यवाही करने बारे समस्त उपमण्डल अधिकारी (ना0) जिला कांगड़ा को पत्र जारी कर दिये जायेंगे । इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र संख्या 1161/डी0आर0ए0 दिनांक 07.08.2015 द्वारा माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) सरकार हिमाचल प्रदेश से वन भूमि परिवर्तित करने बारे निम्नलिखित तीन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण मांगी है:–

1 वन अधिकार अधिनियम 1980 के प्रावधानों के बिना वन भूमि को अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत एक्ट 2006 की धारा 3(2) के अर्न्तगत परिवर्तित किया जा सकता है ।
2 क्या इस एक्ट के तहत वन भूमि परिवर्तित उसी क्षैत्र में होगी जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी निवास करते हैं ।
3 क्या अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी एक्ट 2006 के प्रावधान स्वतन्त्र रूप से invoke हो सकते हैं या उन्ही क्षेत्रों में लागू होंगे जहां इस उपधारा

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL (C) DHARAMSHALA DISTRICT KANGRA (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights Act (FRA) 2006.

A meeting of the Sub-Division level Committee of Dharamshala under FRA, 2006 was held under the chairmanship/ Chairpersonship of Sh. Balbir Thakur SDO© Dharamshala on 10/02/2015 at 10.30 AM at Dharamshala in which the application claiming rights in Dharamshala forest areas under FRA,2006, for diversion of land Khasra No 446/376/1 Area 0-01-00 hectare situated in Mohal Breh of Forest land for the construction of water tank of IPH Department under forest Division Dharamshala (Certificate of Gram Panchayat Kanned attached.) Of the following application duly processed and recommended by the forest Rights Committee of ----Nil--- Gramshaba were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application:

Since no application or objections have been received from Panchayat and at Sub Division level from individuals, GPs or organization etc. Hence there was no application pending for any decision or recommendation till date, before the sub Divisional level Committee.

SDO(Civil)-cum Chairman/Chairperson
Sub-Division level Committee
Sub-Division Dharamshala.

Place: Dharamshala
Date: 02/03/2015

(23) D

आज दिनाँक 10/02/2015 प्रातः 10.30 बजे को कार्यालय उपमण्डल अधिकारी (ना0) धर्मशाला में जनजाति एवं अन्य दूसरे वन अधिकारों पर प्रभाव ना पड़ने वारे संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत उपमण्डलीय स्तर कमेटी की बैठक श्री वलवीर ठाकुर उपमण्डलाधिकारी (ना0) धर्मशाला की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिस में निम्न लिखित मामलों की चर्चा की जानी हैः-

1 महाल ब्रैह मौजा सिद्धवाडी में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पानी का टैंक स्थापित करने हेतू मलकीयती सरकार हि0 प्र0 कब्जा वन विभाग की भूमि खाता न0 87 मिन खतौनी न0 197 मिन न0 खसरा 446/376/1 रकबा 0-01-00 है0 अर्जित की जानी है

2 महाल सुक्कड़ खास में हि0 प्र0 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग खण्ड चिकित्सा अधिकारी तियारा द्वारा उपकेन्द्र के निर्माण हेतू भूमि खाता न0 306 मिन खतौनी न0 418 मिन खसरा न0 1464/1045 रकवा 0-07-64 हैक्ट अर्जित की जानी है। जिस में उपरोक्त मामलों पर चर्चा की गई तथा कोई भी अनापति दावा बैठक में प्रस्तुत ना किया। तथा सर्व सम्मति से सभी मामलों को अनुमोदित किया गया।

क्रमाँक	नाम पदाधिकारी	नाम पद	हस्ताक्षर
1	वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मशाला	सदस्य	(हस्ताक्षर)
2	तहसीलदार धर्मशाला	सचिव एवं सदस्य	(हस्ताक्षर)
3	श्रीमति सीमां देवी पत्नी श्री गगन कुमार गांव नरवाणा डा0घर योल तह0 धर्मशाला	सदस्या	(हस्ताक्षर)
4	कु0 नीलम पुत्री प्यारे लाल गांव व डाकघर रक्कड तह0 धर्मशाला	सदस्या	(हस्ताक्षर)
5	श्री विक्रम सिहं पुत्र उज्जवल सिहं गांव व डा0घर नागनपट तह0 धर्मशाला हि0प्र0	सदस्य	

उपमण्डलाधिकारी (ना0)
धर्मशाला

(123) E

Annexure-I

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

वन अधिकार समिति

ग्राम ~~सभा~~ पंचायत कनेड

प्रतिलिपि प्रस्ताव 05.

प्रस्ताव संख्या 05.

दिनांक 09.12.14

वन अधिकार समिति ग्राम सभा ग्राम पंचायत कनेड की बैठक आज दिनांक 08.12.2014 को 11 बजे स्थान पंचायतघर कनेड में श्री/श्रीमती उपप्रधान श्री महिन्द्र सिंह की अध्यक्षता में की गई जिसमें ग्राम पंचायत कनेड गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत W/H/S. RASAN SIDHBARI महाल [illegible] 0-01-00 है। जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें I.P.H विभाग द्वारा W/S.S. RASAN. SIDHWARI Mohal BRI TANK निर्माण के लिए 0-01-00 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु प्राप्त हुए गांव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :—

क्र0सं0	* पात्र ग्राम वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1			
2			

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे/ इन दावों को पारित करने हेतु ग्राम सभा से इसकी सिफारिश करती है।

उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :—

क्र0सं0	* पात्र ग्राम वासी का नाम
1	
2	

तदानुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करने की सिफारिश करती है।

या

चरगाह देररवतार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान.............................

दिनांक.............................

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा.............................

* ग्रामवासी/ग्राम वासीयों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।

** प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है

[signature]

पंचायत सचिव

ग्राम पंचायत कनेड

विकास खण्ड धर्मशाला

जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Annexure-V

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम ,2006

ग्राम ~~सभा~~ पंचायत कनेड़

विकास खण्ड धर्मशाला ......जिला कांगड़ा ....(हि०प्र०)

प्रतिलिपि प्रस्ताव . 05.

गणपूर्ति 6/7 दिनांक 08/12/14.

प्रस्ताव संख्या 05

विषयः I.P.H. ....विभाग / संस्था को W.S.S. RASAN-SIDHWARI (Mahal BREH) ....के निर्माण हेतु ....जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-08-00 ....हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतु।

ग्राम ~~सभा~~ पंचायत ....को ....की बैठक आज दिनांक 08.12.14. को ....बजे स्थान पंचायत घर कनेड़ ....की गई, जिसमें I.P.H. ....विभाग / संस्था को वाटर टैंक ....के निर्माण हेतु ....जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-08-00 ....हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए सहमति प्रदान करने पर चर्चा की गई।

सभी ग्रामवासियों ने सुबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतु उपयोग के उद्देश्यों को पूरी तरह समझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम ~~सभा~~ पंचायत उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिए जाने पर सहमत है।

ग्राम ~~सभा~~ पंचायत की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे पर भी चर्चा की गई तथा सर्व सम्मति से यह पारित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटारे सम्बन्धित सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है / कर ली गई है तथा प्रस्तावित टैंक ....निर्माण हेतु उपयोग के लिए ग्राम ~~सभा~~ पंचायत कनेड़ 0-08-00 हैक्टेयर वन भूमि को वाटर ....की सहमति दी जाती है।

स्थान कनेड़

दिनांक 08.12.14.

अधीकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा.........

[signature]

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत कनेड़
विकास खण्ड धर्मशाला
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)
Dt 08.12.14.